

सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाइनों के तारों (कण्डक्टर) की जमीन एवं छत/बालकनी से दूरी के मानक

- | | |
|--|----------------------|
| ➤ छत/बालकनी से लम्बवत् (Vertical) दूरी एल.टी. लाइन हेतु | - 2.44 मीटर (8 फीट) |
| ➤ छत/बालकनी से लम्बवत् (Vertical) दूरी एच.टी. लाइन हेतु (11 व 33 के.वी.) | - 3.66 मीटर (12 फीट) |
| ➤ भवन/छत से क्षैतिज (Horizontal) दूरी एल.टी. लाइन/11 के.वी. लाइन हेतु | - 1.22 मीटर (4 फीट) |
| ➤ भवन/छत से क्षैतिज (Horizontal) दूरी 33 के.वी. लाइन हेतु | - 1.83 मीटर (6 फीट) |
| ➤ सड़क के आर-पार एल.टी. लाइन हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी | - 5.80 मीटर |
| ➤ सड़क के किनारे एल.टी. लाइन हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी | - 5.50 मीटर |
| ➤ एच.टी. लाइन(11 व 33 के.वी.) हेतु निचले कण्डक्टर से जमीन की दूरी | - 6.10 मीटर |

33 के.वी.10 एवं 11 के.वी.10 फीडर के निरीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु

- लाइन के खम्मे सीधे गड़े हो तथा जमीन में ठीक प्रकार से अवस्थित हो।
- लाइन में प्रयुक्त कण्डक्टर की जमीन से ऊँचाई मानक से कम न हो।
- लाइन में प्रयुक्त कण्डक्टर की स्थिति जर्जर न हो।
- कण्डक्टर इंसुलेटर से ठीक प्रकार बंधा हो।
- क्रास आर्म इंसुलेटर में टूट-फूट एवं टेढ़े न हो।
- लाइन के जम्पर पी.जी.10 कलैम्प से विधिवत् टाइट होकर लगे हो।
- जम्पर मैटेलिक पार्ट से उचित दूरी पर हो।
- क्रास आर्म विधिवत् टाइट हो तथा टेढ़े न हो।
- एंगिल पोल पर स्टे एवं स्टे इंसुलेटर अवश्य लगी हो तथा टाइट हो।
- लाइन पेड़ों/झाड़ियों से दूर हो एवं लाइन की क्लीयरेंस हेतु वृक्ष की शाखा की छटाई हो।
- पोल के मैटेलिक पार्ट विधिवत् अर्थ हो।